न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0आर0 वाद सं0–15/2007–08

दिलीप कुमार भगत
बनाम
समाउन शेख वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
28-3-2013	**आदेश** यह रिवीजन वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 24.01.2008 को रेम0मिस केस नं0–02/2007–08 में निर्गत नोटिस एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। संक्षेप में मामला पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–पाकुड़ नं0–128 के दाग नं0–2070 ,2072, 2073, 2075, 2078, 2098, 2360 कुल रकवा–6–19–3 धूर जमीन के दाखिल खारिज से संबंधित है। वर्णित जमीन आवेदक के पिता–हरिद्वार प्रसाद भगत को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के B.L.C. No.- 10/76-77 के द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन उक्त जमीन विपक्षी के भेण्डर अशोक कुमार के नाम से अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–91/84–85 के द्वारा दिनांक 25.07.84 को स्वीकृत किया गया था। उस आदेश के विरूद्ध आवेदक के पिता द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04/84–85 दायर किया गया था। जिसे भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए उत्तरवादी के नाम से किये गये अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–91/1984–85 में विपक्षी के भेण्डर अशोक कुमार के पक्ष में दिनांक 25.07.84 को किये गये दाखिल खारिज को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, पाकुड़ को रिमाण्ड किया गया था कि दखल कब्जा के संबंध में जांच एवं विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई कर पूर्ण विचार किया जाय। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी के भेण्डर श्री अशोक कुमार द्वारा अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर किया गया था। अपर समाहर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में पुर्नविचार हेतु रिमाण्ड किया गया। उक्त रिमाण्ड आदेश के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा आर0एम0आर0 वाद सं0–01/2004–05 में दिनांक 18.02.2006 को आदेश पारित किया गया कि अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.94 को निरस्त करना तबतक उचित प्रतीत नहीं होता है, जबतक Arbitrator द्वारा दिये गये फैसला को निरस्त नहीं किया जाता है। इस संबंध में अवर न्यायाधीश–1 पाकुड़ के न्यायालय के 01/1988 में दिनांक 17.06.2009 को	

21. Sri Jagdish Pd. Yadav
42. Sri Benoy Kr. Bhagat

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी के भेण्डर अशोक कुमार एवं अन्य के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में Arbitration No. 10/2009 with I.A.No. 3411/2010 दायर किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/11.03.2011 के आदेश में अपील के निस्तार तक यथावत रखने का आदेश दिया गया है। सक्षम न्यायालय में वाद लंबित रहने के बावजूद भी भूमि सुधार उपसमाहत्ता के द्वारा राजस्व वाद विविध सं0–02/2007–08 प्रारंभ कर दिनांक 08.03.2008 को आवेदक के पिता के नाम पर कायम जमाबन्दी को विलोपित कर प्रश्नगत भूमि को विपक्षी के नाम पर कायम करने का आदेश अंचल अधिकारी, पाकुड़ को दिया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा–पाकुड़ नं0–128 के दाग नं0– 2070 ,2072, 2073, 2075, 2078, 2098, 2360 कुल रकवा– 6–19–3 घूर जमीन आवेदक के पिता हरिद्वार प्रसाद भगत को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के B.L.C. No.-10/76-77 के द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका दखल कब्जा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अंचल अमीन से दिनांक 29.06.1976 को दिलाया गया है तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 25.01.94 को आवेदक के पिता के नाम से दाखिल खारिज किया गया है। आवेदक प्रश्नगत जमीन का नियमतः सरकारी लगान देते आ रहे है। आवेदक के पिता की मृत्यु 18.07.2007 को रोड दुर्घटना से हो गई है। वर्त्तमान में आवेदक एवं उनके भाईयों का उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त है एवं खेती कार्य कर रहे है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वर्णित जमीन विपक्षी के भेण्डर श्री अशोक कुमार के नाम से दाखिल खारिज केस नं0–91/84–85 के द्वारा दिनांक 25.06.1984 दाखिल खारिज किया गया था। जिसके विरूद्ध आवेदक के पिता के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में किये गये दाखिल खारिज अपील वाद सं0–04/94–95 में दिनांक 12.01.1988 को अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए विपक्षी के भेण्डर श्री अशोक कुमार के नाम से दाखिल खारिज को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी के भेण्डर अशोक कुमार के द्वारा अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील वाद आर0एम0आर0 सं0–01/2004–05 दाखिल किया गया। जिसमें दिनांक 25.01.1994 को अपर समाहर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में REMAND किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा दिनांक 18.02.2006 को दिये गये आदेश में अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 25.01.1994 के दाखिल खारिज आदेश को आवेदक के पिता हरिद्वार प्रसाद भगत के नाम से बरकरार रखा। श्री अशोक कुमार के द्वारा इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया। लेकिन अशोक कुमार के द्वारा वर्णित भूमि समाउन शेख,

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अंचल अधिकारी, पाकुड़ को दिया गया। इनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के बी0एल0सी0 नं0–10/76–77 द्वारा प्रियमटर घोषित किया गया था तथा उस वाद के विरूद्ध सभी अपीलीय न्यायालय में प्रियमटर संबंधी आदेश को खारिज किया गया है। इसलिए प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का कोई हक नहीं बनता है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बताते हुए उसे खारिज करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं विपक्षी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के भेण्डर श्री अशोक कुमार के नाम से दाखिल खारिज को तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के आर0एम0 आर0 वाद सं0–01/2004–05 में दिनांक 18.02.2006 को आवेदक के पिता के पक्ष में दिनांक 25.01.1994 को दाखिल खारिज आदेश को बिना हस्तक्षेप किये हुए विपक्षी के भेण्डर अशोक कुमार के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत जमीन के संबंध में सक्षम न्यायालय में Arbitration वाद भी चला था, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता दाखिल खारिज के विरूद्ध अपीलीय पदाधिकारी है। लेकिन उनके द्वारा सीधे अभिलेख खोलकर कायम जमाबन्दी को विलोपित करने का आदेश दिया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कायम जमाबन्दी को रद्द नहीं कर सकते है। यह उनके न्याय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के द्वारा राजस्व विविध वाद सं0–02/2007–08 में दिनांक 08.03.2008 को जमाबन्दी विलोपित करने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उपायुक्त
पाकुड़

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.09 17:30:20 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner